

परियोजना का नाम :-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण। (व्यास्तविक लं० 1.70 कि०मी०)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

ह0/-1
प्रयोक्त एजेन्सी

अधिकांसी अभियन्ता
भारतीय खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल.

परियोजना का नाम :-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सुखी नदी पर काजवे का निर्माण। (वास्तविक लम्बाई 1.70 किमी0)

टास्क फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट का अनुपालन
किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त परियोजना हेतु टास्क फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

आवधारित।
राष्ट्रीय खण्ड, लो० नि० हि० / -
नैनीताल.
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नाम :-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण। (वास्तविक लं० 1.70 कि०मी०)

भू-वैज्ञानिक की संस्तुति/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0 /

प्रयोक्ता एजेंसी
आदिवासी अभियन्ता
ग्रामीण/खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

परियोजना का नाम :-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण। (वास्तविक लं० 1.7० कि०मी०)

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

गई है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की

ह0/-

प्रयोजित एजेंसी
अधिकांसी अभियन्ता
बालीय खण्ड, लो० नि० दि०
नैनीताल.

ह0/-

जिलाधिकारी

Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand.

जिलाधिकारी
नैनीताल